

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
जगदीश प्रसाद गुप्ता बनाम विकास सिंह
प्रार्थना पत्र (खा0सु0) संख्या 25/2021

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 25/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भरतपुर।

आवेदक

बनाम

विकास सिंह पुत्र अमर सिंह उम्र 40 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स श्री
कृष्णा स्वीट्स, डीग रोड, भरतपुर निवासी रूधिया नगर, भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 13.01.2022

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii), 26(2)(v)/51 एवं 58 एफएसएस
एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 16.03.2021 को प्रस्तुत किया
गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 13.01.2022 को
गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप
सुनाया गया कि दिनांक 02.11.2020 को प्रातः 11.40 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स श्री
कृष्णा स्वीट्स, डीग रोड, भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल
की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु स्टील की एक ट्रे में 12

किग्रा0 बेसन लड्डू (बेसन, चीनी एवं रिफाइन्ड सोयाबीन निर्मित) रखे हुये पाये गये। जिनमें
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/831/एक्ट/2020/903 दिनांक 23.11.2020 द्वारा उक्त बेसन लड्डू (बेसन, चीनी एवं रिफाइन्ड सोयाबीन निर्मित) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का बेसन लड्डू (बेसन, चीनी एवं रिफाइन्ड सोयाबीन निर्मित) विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii), 26(2)(v) का उल्लंघन किया गया है।


आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की दुकान मैसर्स कृष्णा स्वीट्स, डीग रोड, भरतपुर से बेसन लड्डू (बेसन, चीनी एवं रिफाइन्ड सोयाबीन निर्मित) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जांच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त बेसन लड्डू (बेसन, चीनी एवं रिफाइन्ड सोयाबीन निर्मित) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त बेसन लड्डू (बेसन, चीनी एवं रिफाइन्ड सोयाबीन निर्मित) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है इसलिये गैरसायल के प्रति नरमरुख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 02.11.2020 को प्रातः 11.40 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की दुकान पर आम जनता के विक्रय हेतु बेसन लड्डू (बेसन, चीनी एवं रिफाइन्ड सोयाबीन निर्मित) करीब 12 किग्रा रखे हुये पाये गये। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या

एलएस/831/एक्ट/2020/906 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा उक्त बेसन लड्डू (बेसन,

चीनी एवं रिफाइन्ड सोयाबीन निर्मित) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार **Butyro-refrecometer Reading of extracted fat at 40°C** का मानक **58.5 to 68.0** होना चाहिये था परन्तु इसका मानक **56.4** पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है। इसी प्रकार **Iodine Value of extracted oil** का मानक **120.0 to 141.0** होना चाहिये था परन्तु इसका मानक **100.30** पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है। वक्त निरीक्षण गैरसायल से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया तो गैरसायल ने खाद्य पदार्थ विक्रय रजिस्ट्रेशन नहीं होना जाहिर किया। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडैक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 एवं 58 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 5000/-रूपये (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर